



वित्त मंत्री

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल

का

वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

आदरणीय अध्यक्ष जी,

1. मैं सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को देवभूमि उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखण्ड की महान जनता को नमन करते हुए राष्ट्रऋषि परम् आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मुखारविन्दुओं को दोहरा रहा हूँ:-

“जहाँ अंजुली में गंगाजल हो, जहाँ हर एक मन निश्चल हो
जहाँ गांव गांव में देशभक्त, जहाँ नारी में सच्चा बल हो
उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूँ।
इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूँ।
है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं शीष तुमको नवाता हूँ।”

2. माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार राजनीति नहीं अपितु राष्ट्रनीति को सर्वोपरि मानती है। इसीलिए राजनीतिक रूप से लाभ-हानि की चिंता किये बगैर हम प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अथक कार्य कर रहे हैं। पॉलिसी पैरालिसिस के दुष्चक्र को तोड़ रहे हैं। बड़े स्केल व अधिक स्पीड पर काम कर रहे हैं। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जनता के आदेश को शिरोधार्य कर रहे हैं।
3. जनता ने हमें समान नागरिक संहिता लागू करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था। इस सरकार गठन के उपरान्त प्रथम कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने समान नागरिक संहिता हेतु संकल्प लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र विकल्परहित संकल्प है। फरवरी 2024 के विशेष विधानसभा

सत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता पारित कर विधान सभा से पारित कर संकल्प से सिद्धि का प्रण स्थापित हुआ है और आजादी के बाद उत्तराखण्ड की विधानसभा यू०सी०सी० बिल पास करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है।

4. माननीय अध्यक्ष जी, समाजिक बुराईयां बाल-विवाह, बहुविवाह, तीन तलाक आदि रीति-रिवाजों की आड़ में पनपती है। इन प्रचलित कुरीतियों से सबसे ज्यादा नुकसान वंदनीय मातृ शक्ति को उठाना पडता है। समान नागरिक संहिता सामाजिक कुरीतियों के खात्मे की गारंटी है। अब मातृ शक्ति की स्थिति बेहतर होगी तथा उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
5. एक समरस सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी, जिसमें सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और जमीन-जायदाद के बंटवारे आदि में समान रूप से कानून लागू होगा।
6. समान नागरिक संहिता के माध्यम से सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण करते हुए उन्हें अधिकार दे रही है। इसमें प्रत्येक नारी का अधिकार सुरक्षित किये जाने की मंशा है। न केवल देवभूमि के लिए अपितु सम्पूर्ण देश के लिए आशा की नई उम्मीद जगी है।
7. माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान वित्तीय वर्ष राष्ट्र व राज्य के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व उपलब्धियों का वर्ष है। वैश्विक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय में जहाँ एक ओर हमारे देश ने जी-20 के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, वहीं हमारी सरकार ने राज्य में जी-20 की महत्वपूर्ण बैठकों का अभूतपूर्व आयोजन किया। राज्य में जी-20 के सम्मेलनों का आयोजन हमारे लिए अपनी पारम्परिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा पर्यटन की

क्षमताओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ है। विश्वस्तरीय आयोजन से हमें एक नई पहचान मिली है। उत्तराखण्ड में आये जी-20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नये ब्रान्ड अम्बेसेडर हैं। प्रदेश में जी-20 की बैठकों ने नए अवसर व नए अनुभव प्रदान किये हैं, जो भविष्य में पर्यटन व निवेश में संवर्धन के दृष्टिकोण से उम्मीद का संचार कर रहे हैं।

8. हमारी सरकार की कार्यशैली और तदजनित सकारात्मक परिवेश के परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गये हैं। "पीस टू प्रॉस्पेरिटी" टैग लाइन के साथ देहरादून में 08-09 दिसम्बर, 2023 को आयोजित "ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट" प्रदेश की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है।
9. यह डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदत्त इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3.5 लाख करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये। मुख्य आयोजन में ही मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 44 हजार करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 की ग्राउण्डिंग की गई। अब रोजगार सृजन, इकोनॉमी, इकोलॉजी और राज्य की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्डिंग की जा रही है। ग्राउण्डिंग पर फोकस करने का यह दृष्टिकोण भविष्य में उत्तराखण्ड की आर्थिकी के विस्तार की गारंटी है।
10. अध्यक्ष जी, हमें उत्तरकाशी जनपद स्थित सिलक्यारा की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे हुए 41 श्रमिकों को अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न एजेन्सियों व तकनीकी संस्थाओं के द्वारा बेहतर समन्वय के साथ सकुशल बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। हमारे युवा

मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी दिन-रात ग्राउण्ड जीरो पर मौजूद थे तथा उनके नेतृत्व में अद्भुत टीम स्पिरिट और हाई मोटीवेशन का गवाह सिलक्यारा बना, जहाँ टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दिया। जनपद का प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे स्वयं इस टीम में कार्य करने का अवसर मिला। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 17 दिनों तक भी इन श्रमिकों का हौसला बुलन्द था। निःसंदेह आपदा प्रबन्धन का सिलक्यारा मॉडल सुरंग हादसा प्रबन्धन के क्षेत्र में लैंडमार्क है तथा देश और दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक है और अग्रणी उत्तराखण्ड की अवधारणा पर मोहर लगाता है।

11. अध्यक्ष जी, 28 नवम्बर 2023 से 01 दिसम्बर 2023 तक चार दिवसीय विश्व आपदा प्रबन्धन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रों के विशेषज्ञों ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन (DRR) क्लाइमेट रेजिलियन्स के साथ माउन्टेन कम्युनिटिज सशक्तिकरण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। सम्मेलन के अन्त में देहरादून डिक्लरेशन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में यह सम्मेलन विश्व फलक में उत्तराखण्ड की सशक्त उपस्थिति को दर्ज करने में सफल रहा। उत्तराखण्ड में साइंस एवं टेक्नालॉजी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्सन के लिए हम सतत प्रत्यनशील हैं।
12. अध्यक्ष जी, प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए अत्यन्त सम्माननीय हैं। इसी क्रम में वर्षों से लम्बित मांग के निस्तारण के लिए राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की कार्यवाही गतिमान है।

13. हमारी सरकार की नीतियों और कार्यशैली के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार उत्तराखण्ड को प्राप्त हुए हैं। मैं प्रसंगवश इस वर्ष प्राप्त कुछ पुरस्कारों का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ:-

- नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया।
- भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखण्ड राज्य प्रथम रनर अप रहा।
- 42वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2023 में उत्तराखण्ड राज्य को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ।
- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोली गांव, मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ को "बेस्ट टूरिज्म विलेज" (गोल्ड कैटेगरी) में प्रथम पुरस्कार दिया गया।
- एडवेन्चर टूर ऑपरेटर एसोशिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश को "बेस्ट एडवेन्चर स्टेट अवार्ड" दिया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- जैविक इण्डिया अवार्ड के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किये गये कार्य हेतु "जैविक इण्डिया अवार्ड 2023" से सम्मानित किया गया।
- लाल धान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया।

- प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा 26वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कॉन्फ्रेंस में अपणि सरकार पोर्टल को “एप्लीकेशन ऑफ इमरजिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंद्रिक सर्विस” श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला।
 - नेशनल लाईवस्टाक मिशन की उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर भारत में उत्तराखण्ड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
14. यह वर्ष अनेक अभिनव प्रयोगों, पहल व उपलब्धियों का वर्ष रहा है। मैं प्रसंगवश कुछ बिन्दुओं का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ:-
- केन्द्र सरकार के पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल की तर्ज पर उत्तराखण्ड पी0एम0 गतिशक्ति पोर्टल विकसित किया गया है।
 - महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत गौरा शक्ति मॉड्यूल लांच किया गया है।
 - यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही में आम जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड ट्रेफिक आईज ऐप बनाया गया है।
 - अपणि सरकार पोर्टल के अन्तर्गत पायलट परियोजना के रूप में चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ के रूप में जनपद देहरादून में आरम्भ की गयी है।
 - राज्य में वाह्य सहायतित एवं उच्च लागत परियोजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पोर्टल पर रियल-टाइम मॉनीटरिंग की जा रही है।

- एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सिंगलसाईन-ऑन (एस.एस.ओ.) का अपणि सरकार पोर्टल, उत्तराखण्ड पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल एवं सी.एम. हेल्पलाइन से इंटीग्रेशन किया गया।
- सम्पत्ति की जी.आई.एस. मैपिंग करते हुए स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि करने के प्रयास आरम्भ कर दिये हैं।
- प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को एक साथ राज्य के 18 उत्पादों को जियोग्राफिकल इन्डीकेशन टैग (GI टैग) प्रदान किया गया है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड ऐप्लाइड न्यूट्रिशन रामनगर में शैक्षणिक सत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रारम्भ किया गया है।
- खरसाली से यमुनोत्री मंदिर तक रोप-वे परियोजना पी0पी0पी0 मोड में रू0 167.00 करोड़ की लागत से विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन एवं अनुबन्ध निष्पादित हो गया है।
- वाईब्रेन्ट विलेज योजना के अन्तर्गत माणा गांव चमोली, जादूंग उत्तरकाशी एवं गूंजी पिथौरागढ़ पर्यटन विकास योजना तथा अवस्थापना विकास कार्य प्रारम्भ हो गया है।
- सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम के विकास का मास्टर प्लान तैयार हो गया है।
- मानसखण्ड मंदिरों सहित पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार हेतु IRCTC के साथ अनुबन्ध निष्पादित हो गया है।
- देहरादून से पिथौरागढ़ तक फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी हैं तथा 22 फरवरी 2024 को हल्द्वानी से

मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चम्पावत हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारम्भ किया गया है।

- सैनिकों के शौर्य को सम्मान देने के लिए पांचवा धाम “शौर्य स्थल” का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है।

15. अध्यक्ष जी, डबल इंजन विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मैं प्रसंगवश कुछ बिन्दुओं का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ:-

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.10.2023 को गोला नदी पर प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना को रूपये एक हजार सात सौ तीस करोड़ एक्कीस लाख (रु0 1730.21 करोड़) के 90 प्रतिशत केन्द्रांश की वित्त पोषण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ हो गया है:-
 - राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 534 में पौड़ी जनपद में पैडल से श्रीनगर तक 42.47 किमी0 लम्बा, लागत रूपये दो सौ निन्यानबे करोड़ एकतिस लाख (रु0 299.31 करोड़) का 02 लेन पेडिशोल्डर सहित सुदृढीकरण कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है।
 - भूस्खलन क्षेत्र के उपचार हेतु टिहरी जनपद में कौड़ियाला से देवप्रयाग के मध्य 10 चिन्हित स्थानों पर रूपये एक सौ बानबे करोड़ चौवन लाख (192.54 करोड़) रूपये का कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है।
 - रुद्रप्रयाग में बाईपास मार्ग हेतु सुरंग कार्य एवं सेतु कार्य हेतु रूपये दो सौ अड़तालिस करोड़ बावन लाख (रु 248.52 करोड़) के कार्य प्रगति पर है।

- पौंटा साहिब – देहरादून मार्ग में 18.70 किमी० लम्बे 04 लेन अपग्रेडेशन का कार्य, लागत रूपये पांच सौ तिरपन करोड़ (रु 553 करोड़) दिनांक 01.05.2023 को प्रारम्भ किया गया है।
- 04 लेन रूद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य लम्बाई 20.64 किमी०, लागत रूपये एक हजार बावन करोड़ (रु 1052 करोड़) दिनांक 12.01.2024 को प्रारम्भ किया गया है।
- भानियावाला– जौलीग्रान्ट–ऋषिकेश तक 19.78 किमी० लम्बाई में अपग्रेडेशन का कार्य, लागत रूपये सात सौ ब्यालिस करोड़ (रु 742 करोड़) दिनांक 18.10.2023 को अवार्ड किया गया है।
- काशीपुर बाईपास का निर्माण 14.49 किमी०, लागत रूपये छः सौ बानबे करोड़ (रु 692 करोड़) दिनांक 29.03.2023 को अवार्ड किया गया है।
- माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी तथा हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर जनपद रूद्रप्रयाग स्थित लमेरी से जनपद चमोली में कर्णप्रयाग तक 02 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 274 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर हरिद्वार में दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाइओवर निर्माण कार्य लागत 181 करोड़ का लोकार्पण किया गया।
- इस लोकार्पण के अतिरिक्त कुमाऊं एवं गढवाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है:—

- काठगोदाम से नैनीताल मार्ग का टू-लेन पैव्ड शोल्डर समेत चौड़ीकरण कार्य लागत 710 करोड़,
- कंगारछीना से अल्मोडा मार्ग का टू-लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 451 करोड़।
- कांडा से बागेश्वर मार्ग का टू-लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 203 करोड़।
- काशीपुर से रामनगर मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण कार्य लागत 495 करोड़।
- उडियारी बैंड से कांडा मार्ग तक टू-लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 349 करोड़।
- बागेश्वर में सरयू नदी एवं गोमती नदी पर दो पुलों का सुदृढीकरण कार्य लागत 5 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य लागत 4 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार बाईपास का निर्माण कार्य लागत 692 करोड़ एवं गुमखाल से सतपुली तक 02 लेन पैव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 453 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर 63 स्थलों पर भू-स्खलन एवं भू-धंसाव का उपचार कार्य लागत 1229 करोड़ एवं भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश मार्ग का 04 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 742 करोड़।

- राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर ऋषिकेश में श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट बेली ब्रिज के साथ 04 लेन चौड़ीकरण कार्य व राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कौजवे का निर्माण कार्य लागत 07 करोड़।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर 03 सेतुओं का सुरक्षात्मक कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर सडक सुरक्षा के कार्य लागत 06 करोड़।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर रुद्रप्रयाग में पुरानी सुरंग का पुनर्वास एवं मण्डल से चोपता मार्ग का सुदृढीकरण कार्य लागत 48 करोड़ एवं रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर 06 स्थलों पर भू-स्खलन एवं भू धंसाव का उपचार कार्य लागत 101 करोड़।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर खरसोनक्यारी से नौगांव तक 02 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य लागत 454 करोड़।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर धरासू से यमुनोत्री मार्ग पर 15 स्थलों पर भू-स्खलन का उपचार कार्य लागत 193 करोड़।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर ऋषिकेश से गंगोत्री मार्ग पर 30 स्थलों पर भू-स्खलन एवं भू-धंसाव का उपचार कार्य लागत 375 करोड़।
16. अध्यक्ष जी, हमारी कार्य संस्कृति के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गये हैं। उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने वर्ष 2006-07 के बाद वर्ष 2022-23 में घाटे से उभरकर लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लाभ अर्जित होने का अनुमान है।
17. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविचारित योजनाएं बना रही है तथा हम पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के

साथ इनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत है। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के दृष्टिगत अनेक नीतियों में संशोधन किया गया है। असंगत एक्ट तथा नियमों को रिपील करने के लिए हमने कार्यवाही की है।

18. हमारी सरकार ने एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए तथा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय पिछले एक वर्ष में लिए हैं। 30 नई नीतियाँ बनाई गई है अथवा नीतियों में संशोधन किये गये हैं। मैं प्रसंगवश वर्ष 2023-24 में प्रख्यापित कुछ नीतियों का उल्लेख कर रहा हूँ:—सेवा क्षेत्र नीति, सौर ऊर्जा नीति, स्टार्ट-अप नीति, कस्टमाइज्ड पैकेज नीति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, निजी औद्योगिक पार्क नीति, पर्यटन नीति, ड्रोन नीति एवं उत्तराखण्ड आयुष नीति आदि। ये नई नीतियां राज्य के सतत विकास तथा निवेश संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगी।
19. माननीय अध्यक्ष जी, हमारा राष्ट्र युगदृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व एवं प्रेरणा से वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। एक राज्य के रूप में इस मिशन में अपना सर्वस्व योगदान देने के लिए हमने संकल्प लिया है:—

“अमृत काल खण्ड में भारतवर्ष को विकसित देश बनाने की बयार है,

इस महायज्ञ को सफल बनाने हेतु देवभूमि तैयार है।”

20. यह बजट उन्नत उत्तराखण्ड, सुशासित उत्तराखण्ड और क्षमतावान उत्तराखण्ड की त्रिवेणी पर आधारित हैं। इसकी आत्मा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास है और मंजिल अग्रणी उत्तराखण्ड है।

21. यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। गत वर्ष के बजट भाषण में निर्दिष्ट बिन्दुओं में प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी यथोचित प्रावधान किए गए हैं।
22. अध्यक्ष जी, अवरोध, विलम्ब, धीमी गति और अनुत्पादकता के दुष्चक्र से बाहर निकल कर समयबद्ध रूप से परिणाम प्राप्त करना हमारी सरकार की कार्यशैली है। हमारा विश्वास है कि वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप मूलभूत अवसंरचना या सुविधा का सैचुरेशन किये जाने का दृष्टिकोण ही प्रदेश को विकसित प्रदेश बनायेगा। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में 3 वर्षों हेतु प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख किया था। इसी क्रम में आगामी वर्ष हेतु अपनी सरकार की प्राथमिकताएं इंगित कर रहा हूँ:-

- प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन।
- प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा।
- प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति।
- प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण।
- प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति।
- आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन।
- प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस क्रियान्वयन।

- प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटिजेशन।
- प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना।
- प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण।
- प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना व सुदृढीकरण।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम/संस्कृति केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण।

“ जब हौंसला बना लिया ऊंची उड़ान का

फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”

23. इस सैचुरेशन दृष्टिकोण के साथ-साथ हमारी सरकार ने सर्वांगीण विकास, अग्रणी उत्तराखण्ड एवं क्षमतावृद्धि के दृष्टिकोण से अनेक पहल की है। इस

बजट साहित्य में यथास्थान उनका उल्लेख होगा। प्रसंगवश, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- नवाचार तथा इमरजिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा।
 - आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता।
 - मानसखण्ड परियोजना से आच्छादित सांस्कृतिक धरोहरों का जीर्णोधार।
 - “हाउस ऑफ हिमालयाज” को एक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड के रूप में प्रतिस्थापित करना।
 - प्रदेश को आयुष एवं वेलनेस हब के रूप में पहचान स्थापित करने हेतु शासकीय संस्थाएं यथा हरिद्वार स्थित ऋषिकुल महाविद्यालय तथा गुरुकुल महाविद्यालय के साथ-साथ निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित करना।
 - समस्त नगर निगम एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पूर्ण अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु गैप फन्डिंग, ताकि स्थानीय निकायों की रैकिंग में सुधार हो।
 - विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर शैक्षणिक भ्रमण का अवसर।
 - कृषि एवं उद्यान उत्पादों का वैल्यू चेन फाईनेंसिंग।
24. अध्यक्ष जी, अग्रणी उत्तराखण्ड के संकल्प की पूर्ति के लिए यह बजट एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सशक्त प्रेरणा से हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति यानि ज्ञान (GYAN) को फोकस में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है।

25. “ज्ञान” हमारा शक्ति पुंज हैं। इस बजट भाषण के आगामी अंश में इन सभी स्तम्भों पर प्रसंगवश चर्चा जारी रखूंगा लेकिन सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम सूत्र गरीब कल्याण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों का स्मरण कर रहा हूँ:-

“मैने स्वप्न देखा कि जीवन आनन्द है।

मै जागा और पाया कि जीवन सेवा है।

मैने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनन्द है।”

26. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी के अन्तर्गत 80 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना” के अन्तर्गत प्रदेश के बारह लाख तेरह हजार दो सौ पैंतीस (12,13,235) प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान प्रति यूनिट एवं अन्त्योदय के एक लाख तिरासी हजार पाँच सौ बीस (1,83,520) राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान प्रति राशन कार्ड प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जनधन योजना, गरीबो को बुनियादी सुविधाओं वाले आवास, जलापूर्ति, वित्तीय समावेशन, पीएम किसान, उज्ज्वला योजना आदि अनेकों योजनाओं के माध्यम से “गरीब कल्याण देश का कल्याण” की अवधारणा चरितार्थ हो रही है।
27. इस पुनीत यज्ञ में हमारी सरकार भी अपना योगदान दे रही है। पोषण, सामाजिक पेंशन, स्वास्थ्य, विभिन्न योजनाओं में राजसहायता सहित अनेक योजनाओं में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। मैं गरीब कल्याण

के दृष्टिगत सरकार के कुछ उल्लेखनीय प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:-

- वृद्धजनों, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की सम्मिलित संख्या लगभग 8 लाख से अधिक है। हमारी सरकार द्वारा इनको मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन हेतु लगभग ₹0 एक हजार सात सौ तिरासी करोड़ अट्ठाइस लाख (₹0 1783.28 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अन्तर्गत 1,83,419 अंत्योदय कार्डधारकों को वर्ष में 03 गैस सिलिण्डर रिफिलिंग फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना हेतु वित्त वर्ष 2024-25 में ₹0 पचपन करोड़ (₹0 55.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- अन्नपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 छः सौ करोड़ (₹0 600.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु लगभग ₹0 तीन सौ नब्बे करोड़ चौहत्तर लाख (₹0 390.74 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु ₹0 दो सौ ग्यारह करोड़ (₹0 211.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों हेतु अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 बानबे करोड़ छियानबे लाख (₹0 92.96 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

- राज्य आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 अड़तालीस करोड़ (₹0 48.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024–25 में लगभग ₹0 चौंतीस करोड़ छतीस लाख (₹0 34.36 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
 - राज्य खाद्यान योजना हेतु वित्त वर्ष 2024–25 में ₹0 बीस करोड़ (₹0 20.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
28. विभिन्न विभागों के तत्वावधान में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें सब्सिडी दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में सब्सिडी हेतु लगभग ₹0 छ सौ उन्चासी करोड़ चौंतीस लाख (₹0 679.34 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
29. अध्यक्ष जी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरान्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का उद्घोष किया था जिससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के भारी भरकम बिल से राहत मिल सके। निःसंदेह पात्रता अनुसार हमारे प्रदेश के अनेक व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित होने के अवसर उपलब्ध होंगे।
30. अध्यक्ष जी, गरीब कल्याण की इसी कड़ी में अवगत कराना है कि सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण से कार्य करते हुए केन्द्र सरकार ने पूरे देश के लिए अनेक महत्वपूर्ण

योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इन योजनाओं से प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में जनता लाभान्वित हो रही है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से वित्तीय समावेशन की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा इनके क्रियान्वयन की सम्यक मॉनिटरिंग की जा रही है:—

- राज्य में इस वित्त वर्ष में दिसम्बर 2023 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से दस लाख तीन हजार सात सौ सात (10,03,707), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से चौतीस लाख अट्ठाइस हजार सात सौ तिरासी (34,28,783) व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है।
- अटल पेंशन योजना से सात लाख एक हजार सात सौ पचहत्तर (7,01,775) व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन देने का प्रावधान है।
- राज्य में दिसम्बर 2023 तक दस लाख दो हजार चौवन (10,02,054) व्यक्तियों को रू0 57,811 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया। राज्य का ऋण जमा अनुपात गत वर्ष 53.89 प्रतिशत से बढ़कर 54.18 प्रतिशत हो गया है।
- वित्त वर्ष 2023–24 में मुद्रा योजना के अन्तर्गत तीन लाख पचपन हजार दो सौ उन्तालिस (3,55,239) व्यक्तियों को रू0 तीन हजार सात सौ इकतीस करोड़ (रू0 3,731 करोड़) का बैंक ऋण वितरित कर स्वरोजगार प्रदान किया गया।

- दिसम्बर 2023 तक पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत बत्तीस हजार आठ सौ चौदह (32,814) व्यक्तियों को रू0 45.86 करोड़ का बैंक ऋण तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सात हजार एक सौ छब्बीस (7,126) व्यक्तियों को रूपये तीन सौ करोड़ नवासी लाख (रू0 300.89 करोड़) का बैंक ऋण वितरित कर स्वरोजगार प्रदान किया गया।

31. अब मैं “ज्ञान” (GYAN) के महत्वपूर्ण स्तम्भ युवा शक्ति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। युवा हमारा अभिमान और गौरव है। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में युवा शक्ति के विकास और क्षमता संवर्धन के लिए किये जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों को इंगित किया था। इसी क्रम में सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता का केन्द्र बिन्दु है। हमारी कार्यनीति है कि हम युवा शक्ति को पढ़ने, खेलने, क्षमतावर्धन करने, रोजगार प्राप्त करने और रोजगार प्रदाता बनने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करें।

32. ‘अग्रणी उत्तराखण्ड’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर देने होंगे। मैं ऐसे ही कुछ बिन्दुओं का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ:—

- उद्यमिता कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा योजना वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत इंटरप्रेन्योशिप डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया अहमदाबाद (EDII अहमदाबाद) से एम0ओ0यू0 किया गया है।
- राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि एवं प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से शैक्षिक

कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियाँ हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 दस करोड़ (₹0 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक वातावरण के विकास एवं विविधिकरण तथा नई तकनीकों को बढ़ावा दिए जाने के क्रम में एन0ई0पी0 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2024-25 हेतु योजनान्तर्गत ₹0 दो करोड़ (₹0 2.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

33. अध्यक्ष जी, भारत रत्न डा0 भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक शब्द उल्लेखनीय है:—

“इस दुनिया में गरीब वही है, जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना।”

हमने विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी निवारण और सशक्तिकरण के प्रयास तो किये ही हैं, साथ ही अपवंचित छात्रों को शिक्षा देने के लिए राईट टू एजुकेशन, छात्रवृत्तियाँ, शिक्षण व्यवस्था तथा विद्यालयी अवसंरचना में सुधार को प्राथमिकता दी है।

34. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिये जाने हेतु 94 हजार से अधिक बच्चों को निःशुल्क अध्ययन सुविधा निजी विद्यालयों में प्रदान कि गयी है।

35. अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायिक सेवा, प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) की प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल होने पर अगले चरण की तैयारी हेतु धनराशि "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
36. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों की मेधावी बालिकाओं को 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लगभग ₹0 तीन करोड़ छिहत्तर लाख (₹0 3.76 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
37. अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में नंदा गौरा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 से 2016-17 तक के अवशेष पैंतीस हजार अठारह (35,018) लाभार्थियों के साथ-साथ वर्ष 2022-23 के चौवालिस हजार चार सौ तीस (44,430) एवं वर्ष 2023-24 के उन्तालिस हजार एक सौ अट्ठाइस (39,128) लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार एक लाख अठारह हजार पाँच सौ छिहत्तर (1,18,576) लाभार्थियों को धनराशि वितरित की जाने की कार्यवाही गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना हेतु ₹0 एक सौ पंचानबे करोड़ (₹0 195.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
38. अध्यक्ष जी, अब मैं शिक्षा के विकास के लिए किये जा रहे कुछ अन्य प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ:-

- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 पचीस करोड़ (रू0 25.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी को सहायता अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 तीन करोड़ पैंसठ लाख (रू0 3.65 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 सात करोड़ ग्यारह लाख (रू0 7.11 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

39. छात्र शक्ति के क्षमता सवर्धन के लिए हम महत्वपूर्ण नई योजनाएं लेकर आये हैं। मैं प्रसंगवश वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुछ नई योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के क्रम में खटीमा, ऊधम सिंह नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेन्टर की स्थापना हेतु प्रावधान किया जा रहा है।
- राजकीय महाविद्यालयों को नैक (NAAC) ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन राशि हेतु लगभग रू0 तीन करोड़ चौदह लाख (रू0 3.14) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू0 दो करोड़ (रू0 2.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मा0 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया जा रहा है।

- उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना का प्रावधान किया जा रहा है।
 - विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना का प्रावधान किया जा रहा है।
40. अध्यक्ष जी, शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से छात्रों एवं अध्यापकों की रियल टाइम/ऑनलाइन उपस्थिति प्रारम्भ कर दी गयी है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित हो। इस वित्त वर्ष में **929 स्मार्ट क्लास** की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, सरकारी विद्यालयों में **आई0सी0टी0 लैब** की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील है।
41. हमारी सरकार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहती है तथा छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में अवसंरचना विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दृष्टांत स्वरूप कुछ बिन्दुओं का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ:—
- साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग **रु0 बीस करोड़ (रु0 20.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
 - विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग **रु0 तीन करोड़ (रु0 3.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
42. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार युवाओं के सम्पूर्ण विकास पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में “**ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड**” का अभियान भी जारी है। ड्रग पैडलर्स पर कार्यवाही जारी है। नशे के जाल में ग्रस्त नागरिकों को उपयुक्त उपचार की

सुविधा उपलब्ध कराकर पुनः समाज में पुनर्वासित कराने के उद्देश्य से नशामुक्ति केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। युवाओं को विभिन्न उपायों के माध्यम से खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम एक ओर खेलों के विकास के लिए अवंसरचना का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं।

43. खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 08 से 14 वर्ष के 3900 खिलाड़ियों को प्रतिमाह रूपये पन्द्रह सौ (₹0 1500) एवं 14 से 23 वर्ष के 2208 खिलाड़ियों को प्रतिमाह रूपये दो हजार (₹0 2000) छात्रवृत्ति एवं प्रतिवर्ष खेल उपकरण हेतु ₹0 10 हजार की सहायता प्रदान की जा रही है। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ₹0 दस करोड़ (₹0 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु ₹0 दो सौ पचास करोड़ (₹0 250.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु ₹0 पांच करोड़ (₹0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण (चालू एवं नए कार्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 अड़तालिस करोड़ (₹0 48.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग **रु0 सत्ताइस करोड़ (रु0 27.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 पन्द्रह करोड़ (रु0 15.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 दस करोड़ (रु0 10.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 आठ करोड़ (रु0 8.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 पांच करोड़ अठारह लाख (रु0 5.18 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री युवा मंगल स्वावलम्बन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 पांच करोड़ (रु0 5.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 पांच करोड़ (रु0 5.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- इंडोर हाल व मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 पांच करोड़ (रु0 5.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- खेलो इंडिया हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग **रु0 दो करोड़ पांच लाख (रु0 2.05 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में **रु0 दो करोड़ (रु0 2.00 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।

- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 दो करोड़ (₹0 2.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- युवा कौशल विकास एवं संसाधन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 एक करोड़ (₹0 1.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 एक करोड़ (₹0 1.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

44. माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्तमान अर्थव्यवस्था का तकाजा है कि रोजगार के अवसर संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं। पिछले दस वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सुविचारित प्रयासों का यह परिणाम है कि अब देश में और देश के बाहर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हैं। राज्य के युवाओं की इन अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हम आवश्यक इकोसिस्टम बना रहे हैं। हम शिक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहे हैं। हम पाठयक्रमों में इंडस्ट्री की मांग का ध्यान रख रहे हैं ताकि हमारे युवा नये अवसरों से लाभान्वित हो सकें।

45. मैं युवाशक्ति की क्षमतावृद्धि के लिए किये जा रहे विशेष प्रयासों का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- विभिन्न विभागों के तत्वावधान में युवा रोजगार उन्मुख शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- स्किल हब के रूप में विकसित करते हुए सहसपुर, देहरादून स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ एवं मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की गई है।
- विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में “भारत-जापान तकनीकी इंटर्न” कार्यक्रम के तहत एल्डरली केयर गिवर के रूप में कार्य करने हेतु 33 युवाओं को 3 माह का जापानी भाषा एवं इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं 13 युवाओं को जापान कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। 30 अन्य युवाओं के प्रशिक्षण हेतु द्वितीय बैच शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जापान में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कार्य करने हेतु 16 युवाओं का प्रशिक्षण गतिमान है।
- उद्योग की माँग के अनुरूप प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य की 13 चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के सहयोग से उच्चकृत प्रशिक्षण हेतु कार्यशालायें/वर्कशॉप स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। यह कार्यशालायें इलेक्ट्रिक वीकल एडवान्स सीएनसी मशीन एण्ड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी। इससे राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिष्ठित अधिष्ठानों में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से आई0टी0आई0 काशीपुर तथा हरिद्वार में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किया गया है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के 18 पॉलीटेक्निक संस्थानों में नई प्रौद्योगिकीयों यथा ऑटोमेशन एण्ड

रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग एण्ड बिग डाटा, मेचाट्रोनिक्स, गेमिंग एण्ड एनीमेशन, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स एण्ड मशीन लर्निंग जैसी इमरजिंग टेक्नॉलाजी के नये पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- “मुख्यमंत्री हुनर योजना” के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुनाई आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भी दिया जाता है।
- स्किल स्ट्रेन्थनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वेल्यू इनहान्समेंट योजना (स्ट्राईव) के अन्तर्गत 08 संस्थानों के उन्नयन की कार्यवाही गतिमान है।
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनामी हेतु **₹5 पांच करोड़ तीस लाख (₹5.30 करोड़)** का प्रावधान किया जा रहा है।

46. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने के अवसर प्रदान करने हेतु कौशल, विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन०आई०सी० के माध्यम से "रोजगार प्रयाग पोर्टल" विकसित किया गया है।

47. राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में हमारी सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की श्रृंखला प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2023-24 में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा **3,841 अभ्यर्थियों** तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा **2,713 अभ्यर्थियों** के चयन की संस्तुति की है।

48. युवा शक्ति हमारी प्राथमिकताओं का केन्द्र बिन्दु है। सरकार उनके सपनों के साथ है। इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में उन्हें अपनी क्षमता पहचाननी होगी और कर्तव्यपथ पर निर्भीकतापूर्वक आगे बढ़ना होगा। युवा शक्ति के लिए स्वामी विवेकानन्द जी द्वारा दिये गये मंत्र का उल्लेख करना चाहूंगा:—

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत”

अर्थात् उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत।

49. अध्यक्ष जी, अब मैं “ज्ञान” के अन्य महत्वपूर्ण स्तम्भ अन्नदाता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। अन्नदाता को आशापूर्ण परिवेश देने के लिए विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के अतिरिक्त हमारी सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। इसीलिए कतिपय केन्द्र सरकार की योजनाओं पर अतिरिक्त सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकार की अनेक योजनाओं पर सब्सिडी के लिए यथोचित प्रावधान किये गये हैं। अन्नदाता की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विकास, दुग्ध विकास, सहकारिता तथा सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं। मैं कुछ बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूँ:—

- प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किये जाने हेतु मा० मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। राज्य में सार्वजनिक/सहकारी संस्थाओं द्वारा श्रीअन्न (मिलेट) खरीदने का महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इससे निजी क्षेत्र द्वारा भी स्थानीय किसानों से मिलेट खरीदा जा रहा है। इस प्रकार हमारी सरकार के पॉलिसी इन्टरवेंशन से अन्नदाता की आय को बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो रही है।

- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को संगठित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत इकाई स्थापना करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता प्रदान की जा रही है।
- स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत ब्याज उपदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
- साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को साईलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान, कम्पैक्ट फीड ब्लाक, प्रोबायोटिक्स व मिनरल मिक्सचर पर 50 प्रतिशत अनुदान के साथ-साथ आंचल पशुआहार पर रू0 06 प्रति किग्रा0 पर्वतीय क्षेत्र तथा रू0 04 प्रति किग्रा0 मैदानी क्षेत्र में अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
- "मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना" का अनुमोदन मा0 मंत्रिमण्डल से प्राप्त हो गया है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लगभग वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 एक सौ चार करोड़ पचीस लाख (रू0 104.25 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 पचासी करोड़ (रू0 85.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- किसान पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 छियालिस करोड़ दस लाख (रू0 46.10 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 पैंतीस करोड़ (₹0 35.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मिशन एप्पल योजना हेतु वित्त वर्ष 2024-25 में ₹0 पैंतीस करोड़ (₹0 35.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लाभार्थी परक अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। योजनान्तर्गत लगभग 53,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 बत्तीस करोड़ (₹0 32.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 सात करोड़ तीस लाख (₹0 7.30 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मिलेट मिशन परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 सात करोड़ (₹0 7.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 पांच करोड़ पचहत्तर लाख (₹0 5.75 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य में चारे की कमी को दूर करने हेतु राज्य की चारा नीति प्रख्यापित की गयी।
- मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू के सफल संचालन हेतु 10 वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
- मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में गत 02 वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्तमान समय में 7324 मेट्रिक टन उत्पादन किया जा

रहा है। ट्राउट उत्पादन जो वर्ष 2016–17 तक 10 टन तक सीमित था, वह वर्तमान में 506 मेट्रिक टन हो गया है।

- मत्स्य पालको को दुर्घटना बीमा से आवरित किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा रहे हैं तथा मत्स्य उत्पादन एवं विपणन सेक्टर को सशक्त करने हेतु मत्स्य किसान उत्पादन संगठन गठित किये गये हैं।

50. अध्यक्ष जी , हम अन्नदाता की आय में वृद्धि के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं में बजट प्रवाधान कर रहे हैं:—

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख (₹0 26.77 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 बारह करोड़ (₹0 12.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

51. अध्यक्ष जी, हम नारी को नारायणी मानते हैं। “ज्ञान” (GYAN)के महत्वपूर्ण स्तम्भ नारीशक्ति के सशक्तिकरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूँ कि अनेक योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश की महिलाओं सहित पूरे देश की महिलाओं का जीवन और अधिक गरिमामयी और सुगम हो गया है।

52. स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टैंड अप इण्डिया आदि अनेको योजनाओं तथा तीन तलाक को गैर कानूनी करने से महिलाओं के जीवन में सम्मान बढ़ा है और महिला सशक्तिकरण हुआ है।

53. हमारी सरकार द्वारा भी युग परिवर्तनकारी समान नागरिक संहिता बनाने के अतिरिक्त जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, कुपोषण, मातृ मृत्यु दर जैसे संकेतकों में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। लखपति दीदी, जहाँ एक ओर महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन का प्रतीक बन कर उभर रही है वहीं प्रदेश की आर्थिकी को विस्तृत फलक दे रही है।
54. हमारा विश्वास है कि सशक्त मातृशक्ति से ही सशक्त उत्तराखण्ड सम्भव है। हमारे प्रदेश के निर्माण में और हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है।
55. मैं इस बजट में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले कुछ विशेष प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:-
- हमारी सरकार ने जेंडर बजटिंग को महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग और पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया है। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग **रु0 चौदह हजार पाँच सौ अड़तीस करोड़ पाँच लाख (रु0 14538.05 करोड़)** का प्रावधान कर रही है।
 - राज्य में 20,067 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक में गैनागाँव तथा जनपद ऊधम सिंह नगर के गदरपुर ब्लॉक में चुनपुरी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। राज्य में लगभग **पैंतीस हजार से अधिक आंगनबाड़ी कर्मी कार्यरत** है। उनको मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग

रू0 एक सौ तिरसठ करोड़ अस्सी लाख (रू0 163.80 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत छः लाख पचीस हजार आठ सौ बत्तीस (6,25,832) बच्चों, छप्पन हजार पाँच सौ एकसठ (56,561) गर्भवती महिलाओं एवं चौवन हजार तीन सौ सैंतालिस (54,347) धात्री माताओं को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 दो सौ चौहत्तर करोड़ एक्यासी लाख (रू0 274.81 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 तीस करोड़ (रू0 30.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 अठ्ठाईस करोड़ सैंतालिस लाख (रू0 28.47 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 बीस करोड़ चौसठ लाख (रू0 20.64 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 चौदह करोड़ अठ्ठासी लाख (रू0 14.88 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 दस करोड़ (₹0 10.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 पांच करोड़ (₹0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 पाँच करोड़ (₹0 05.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 पाँच करोड़ (₹0 05.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, अपराध, घरेलू हिंसा आदि के समाधान हेतु पीड़ित महिलाओं को एकल खिड़की प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टाप सेन्टर संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 चार करोड़ तैंतीस लाख (₹0 4.33 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रसव काल में महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 तीन करोड़ (₹0 3.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

- उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना - 2020 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 दो करोड़ (₹0 02.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 एक करोड़ उन्यासी लाख (₹0 1.79 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 एक करोड़ (₹0 01.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल लाने के लिए 108 आपातकालीन सेवा तथा प्रसव उपरान्त जच्चा-बच्चा को घर तक छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी एम्बुलेन्स की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है।

56. माननीय अध्यक्ष जी, सुदृढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था इस ज्ञान पुंज के लिए ईज ऑफ लिविंग के अवसर उपलब्ध कराती है। गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं जन सामान्य हेतु उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के हमारे प्रयास गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करते हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायी शब्दों को उदधृत कर रहा हूँ:-

“हमने यह तय किया कि किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज टालना न पड़े। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमारे गरीब परिवारों को भी उनके घरों के पास बेहतर इलाज मिलें।”

57. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैसलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 पाँच सौ करोड़ (रू0 500.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
58. माननीय अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि हमारी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया है। 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत राज्य में 272 एम्बुलेन्स का संचालन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के माह दिसम्बर, 2023 तक 108 एम्बुलेन्स द्वारा एक लाख पन्द्रह हजार सात सौ उन्चास (1,15,749) व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।
59. इसी क्रम में स्वस्थ उत्तराखण्ड की दिशा में किये जा रहे कुछ और प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ:—
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 एक हजार दस करोड़ छ्ठाछठ लाख (रू0 1010.66 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - बाह्य सहायतित उत्तराखण्ड हेल्थ सिस्टमस डेवलपमेंट परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 एक सौ पाँच करोड़ चौहत्तर लाख (रू0 105.74 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रू0 छियानबे करोड़ दस लाख (रू0 96.10 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

60. अध्यक्ष जी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी जब ऊंची उड़ान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। बजट भाषण के आगामी अंश में, प्रदेश की समृद्धि हेतु बजट में किये जा रहे प्रयासों को सात बिन्दुओं में समेटते हुए सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा:—

- रोजगार सृजन, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के विशेष परिप्रेक्ष्य में निवेश प्रोत्साहन।
- अग्रणी उत्तराखण्ड के लिए सुदृढ़ अवसंरचना का निर्माण।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हेतु फोकस।
- पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान।
- शहर और गाँव के संतुलित विकास के प्रयास।
- सुरक्षित उत्तराखण्ड।
- सुशासित उत्तराखण्ड:—विकल्परहित संकल्प।

61. माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन बिन्दुओं पर आगे बढ़ूँ, उससे पहले पुनः राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ग्लोबल इनवेस्टर समिट के अवसर पर व्यक्त प्रेरक शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ:—

“सामर्थ्य से भरी यह देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी, जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखण्ड उसका प्रखर उदाहरण है।”

62. हमारे ध्येय वाक्य सरलीकरण, समाधान, और निस्तारीकरण से अनेक बाधायें दूर हुई हैं। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस अब महज शब्द नहीं अपितु यथार्थ है। एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत 28 विभागों की 202 सेवायें एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों की सुविधा के दृष्टिगत कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में 155 फील्ड के स्थान पर अब 45 फील्ड कर दी गई हैं।

63. अध्यक्ष जी, प्रसंगवश प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के विशेष परिप्रेक्ष्य में बढ़ते निवेश के आलोक में कुछ विशेष बजट प्रावधानों का उल्लेख करना चाह रहा हूँ:-

- प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 पचास करोड़ (₹0 50.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 चालीस करोड़ (₹0 40.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 पैंतीस करोड़ (₹0 35.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹0 तीस करोड़ (₹0 30.00 करोड़) का प्रावधान है।
- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 सत्रह करोड़ (₹0 17.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

- लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के सम्बन्ध में निजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु पूर्व में प्रचलित जल विद्युत नीतियों में विभिन्न छूट सम्बन्धी अधिसूचना 2023 में जारी होने के उपरान्त 18 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन निजी विकासकर्ताओं को किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- पम्प भण्डारण परियोजनाओं के विकास हेतु उत्तराखण्ड पम्प भण्डारण परियोजना नीति दिनांक 10.10.2023 को अधिसूचित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत 1230 मेगावाट कुल क्षमता की 02 परियोजनायें यू.जे.वी.एन. लि0 एवं टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम (टी.एच.डी. सी.आई.एल. – यू.जे.वी.एन.एल. एनर्जी कम्पनी लि0) को तथा 240 मेगावाट क्षमता की 01 परियोजना का आवंटन यू.जे.वी.एन. लि0 को किया जा चुका है।
- ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा जून, 2023 में अनुदान हेतु योजना अधिसूचित की गयी है, जिसके अनुसार एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रू० 17000 प्रति किलोवाट (अधिकतम रू० 51000.00) का अनुदान दिया जा रहा है।
- राज्य सरकार की अनेक योजनाएं निवेश के साथ-साथ रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से बनाई जा रही है। राज्य मे स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत 200 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के उद्देश्य से संशोधित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना दिनांक 13 मार्च, 2023 को अधिसूचित की गयी है। वर्तमान तक लगभग 44.94 मेगावाट

क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जिससे की लगभग रूपये दो सौ चौबिस करोड़ (224.00 करोड़) के निवेश के अवसर राज्य में उत्पन्न हो सकते हैं। यह हरित ऊर्जा उत्पादन द्वारा नेट जीरो (NET Zero) लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा।

- स्प्रिंग एण्ड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में नई मांग के माध्यम से राजस्व मद में ₹0 उन्नीस करोड़ (₹0 19.00 करोड़) तथा पूंजीगत मद में ₹0 पचास करोड़ (₹0 50.00) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में नई मांग के माध्यम से प्रत्येक जनपद के एक ग्राम-पंचायत को 5 लाख प्रति की दर से स्वच्छता कार्यों हेतु पुरस्कार हेतु प्रावधान किया जा रहा है।

64. अध्यक्ष जी, “अग्रणी उत्तराखण्ड” के लिए विकसित अवसंरचना की आवश्यकता है। हमने गत वर्ष के बजट भाषण में अवसंरचना से सम्बन्धित अनेक थ्रस्ट एरिया इंगित किये थे। विभागीय स्तर पर प्राथमिकता से उस दिशा में कार्य हो रहा है। इसी क्रम में, इस बजट भाषण में भी अवसंरचनात्मक विकास के लिए थ्रस्ट एरिया एप्रोच को रखा गया है।

65. अग्रणी उत्तराखण्ड के लिए एक ऐसी अवसंरचना की आवश्यकता है जो वर्तमान आवश्यकता के साथ-साथ भविष्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और पर्यटन को सहारा दे सके। हमारा यह प्रयास है कि भविष्य के दृष्टिगत हमें गुणवत्तायुक्त आधारभूत अवसंरचना पर अधिक निवेश करना चाहिए। बेहतर अवसंरचना से गतिशीलता बढ़ती है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, और शिक्षा व स्वास्थ्य

तथा अन्य क्षेत्रों में सेवाओं को सुगमतापूर्वक एक्सेस किया जा सकता है तथा किसान, उद्यमी और व्यापारी सभी को बेहतर परिवेश प्राप्त होता है।

66. विकसित अवसंरचना की हमारी अवधारणा न केवल अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों—प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तक विस्तृत है अपितु सभी वर्गों के लिए एफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान में रखती है।
67. एक ओर ग्राम्य जीवन के लिए पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, विद्यालय, खेल मैदान, ओपन जिम आदि की स्थापना व सुदृढीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं शहरी जीवन के लिए अर्बन मोबिलिटी, पार्किंग, पार्क, जिम, कूड़ा प्रबन्धन, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक अवसंरचनात्मक विकास किये जा रहे हैं।
68. अध्यक्ष जी, राज्य में सुदृढ उड्डयन अवस्थापना निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं। जौली ग्रान्ट तथा पन्तनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2023–24 में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं जनपद अल्मोड़ा के स्याल्दे में हैलीपैड/हैलीपोर्ट का कार्य पूरा किया गया है। केदारनाथ एवं सहस्त्रधारा हैलीपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, नैनीताल, टिहरी तथा पौड़ी में विभिन्न स्थानों पर हैलीपैड निर्माण का कार्य प्रचलित है।
69. अध्यक्ष जी, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:—
- राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एस0ए0एस0सी0आई0) हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 पन्द्रह सौ करोड़ (रू0 1500.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत इस बजट में कुल पूंजीगत व्यय में लगभग ₹0 एक हजार चार सौ चार करोड़ तीस लाख (₹0 1404.30) का तथा अनुरक्षण मद में लगभग ₹0 नौ सौ सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख (₹0 917.47) का प्रावधान किया जा रहा है।
- पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पूंजीगत मद में ₹0 एक हजार करोड़ (₹0 1000.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 आठ सौ पचास करोड़ (₹0 850.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹0 सात सौ दस करोड़ (₹0 710.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 तीन सौ करोड़ (₹0 300.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- लखवाड़ परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 दो सौ पचास करोड़ (₹0 250.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु ₹0 एक सौ सत्तावन करोड़ (₹0 157.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- बस अड्डों के निर्माण हेतु ₹0 चालीस करोड़ (₹0 40.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू0आई0आई0डी0एफ0) हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 पचास करोड़ (₹0 50.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पूंजीगत मद में लगभग रू0 तीन सौ उन्तालिस करोड़ पचास लाख (रू0 339.50 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पूंजीगत मद में रू0 एक सौ चवालीस करोड़ (रू0 144 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - आई0टी0आई0 भवनों के निर्माण हेतु रू0 पैंतीस करोड़ (रू0 35.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - शहरी विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीगत मद में लगभग रू0 छ सौ बारह करोड़ नब्बे लाख (रू0 612.90 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - आवास विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीगत मद में लगभग रू0 तीन सौ सत्तावन करोड़ (रू0 357.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
 - इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अवस्थापना विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 साठ करोड़ (रू0 60.00 करोड़) का प्रविधान किया जा रहा है।
70. अध्यक्ष जी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार उत्तराखण्ड के सुनहरे भविष्य के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सशक्त प्रेरणा से हम टेक्नोलॉजी को “सेवा करने का एक शानदार तरीका” मानते हैं।

हम उत्तराखण्ड में आधुनिक डिजीटल अवसरंचना तैयार कर रहे हैं और प्राथमिकता के साथ इस डिजीटल क्रान्ति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इस बजट में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- उत्तराखण्ड में साईबर सिक्योरिटी अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु नई स्कीम का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य साईबर खतरों से निपटना व क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा करना है। इसके अन्तर्गत साईबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा क्रिटिकल आई.टी. अवस्थापना को सुरक्षित किया जायेगा।
- रूफ टॉप सोलर पैनल हेतु नई मांग के माध्यम से रू0 सौ करोड़ (रू0 100.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों का आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 पचास करोड़ (रू0 50.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आई0टी0आई0 के उन्नयन हेतु रू0 चालीस करोड़ (40.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 एकतीस करोड़ उन्यासी लाख (रू0 31.79 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- खनन सर्विलांश हेतु रू0 पचीस करोड़ सत्तावन लाख (रू0 25.57 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- व्हीकल टेस्टिंग सेंटर के निर्माण हेतु रू० बीस करोड़ (रू० 20.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- जनपदों में केन्द्रीकृत रिकॉर्ड रूम हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू० तेरह करोड़ (रू० 13.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य के 10 जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई0वी0 चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- नगरीय क्षेत्रों में वाटर मीटर हेतु रू० पाँच करोड़ (रू० 05.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

71. माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसंरचनात्मक विकास का सूत्रपात हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैड इन इंडिया का आहवान उत्तराखण्ड की धरती से किया है और हमने इसे अपनी आर्थिकी के विस्तार के लिए मंत्र मान लिया है। हमने इस दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

सुरक्षित, सुशासित उत्तराखण्ड के साथ सडक, रेल, उड्डयन और रोपवे निर्माण के क्षेत्र में बड़े स्केल व स्पीड से अर्जित आत्मविश्वास तथा व्यापारी सुगमता, उद्यमिता, मेहनती और प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता के दम पर हम देवभूमि को विश्व प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बनाएंगें।

डबल इंजन सरकार ने धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों का जीर्णोधार कर स्प्रिचुअल टूरिज्म को नया विस्तार प्रदान किया है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के क्रम में अब मानसखण्ड पुनर्विकास की बयार चल रही है।

72. अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चरण कमल जिस जगह पड़ते हैं वहां आध्यात्मिक पर्यटन तथा अन्य प्रकार के पर्यटन को स्वतः ही गति मिल जाती है। इस वर्ष लगभग 56 लाख श्रद्धालु हेमकुण्ड साहिब सहित चार धाम यात्रा पर आये हैं। यह एक रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु धार्मिक यात्रा के लिए देवभूमि में आते हैं। इतने बड़े स्केल पर धार्मिक यात्रा का प्रबन्धन हमारी सरकार द्वारा प्रदत्त सुदृढ़ कानून व्यवस्था, अवसंरचना, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रतीक है।

73. पर्यटन विकास एवं संस्कृति संरक्षण की दिशा में इस बजट में किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- मानसखण्ड माला मिशन के अंतर्गत मन्दिरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ₹0 पचास करोड़ (₹0 50.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- नवीन पर्यटन स्थलों का विकास हेतु ₹0 पचीस करोड़ (₹0 25.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- पर्यटन विभाग के अन्तर्गत वाइब्रेन्ट विलेज योजना मे अवस्थापना विकास हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग में भी वाइब्रेन्ट विलेज योजना के अन्तर्गत रूपये उन्तीस करोड़ पचासी लाख (रू0 29.85 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- फिल्म परिषद की स्थापना हेतु रू0 ग्यारह करोड़ (रू0 11.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु रू0 पाँच करोड़ (रू0 5.00 करोड़) तथा रख रखाव हेतु लगभग रू0 दो करोड़ ग्यारह लाख (रू0 2.11 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- सांस्कृतिक परिषद/आडिटोरियम आदि के निर्माण हेतु रू0 चार करोड़ (रू0 4.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय हेतु लगभग रू0 तीन करोड़ पन्द्रह लाख (रू0 3.15 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय हेतु रू0 दो करोड़ नब्बे लाख (रू0 2.90 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता हेतु रू0 एक करोड़ (रू0 1.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण हेतु रू0 एक करोड़ (रू0 1.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

74. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार शहर व गांव में ईज ऑफ लिविंग तथा ईज और डूइंग बिजनेस का परिवेश सुनिश्चित करना चाह रही है। इस हेतु सैचुरेशन के अप्रोच के साथ नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा अवसरंचना विकास पर फोकस किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के वातावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाना हमारी प्राथमिकता है। हम शहरों के कूड़ा मुक्तरूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश में नवीन टाउनशिप विकसित किये जाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
75. आवास विकास विभाग के तत्वावधान में राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु सम्पूर्ण राज्य में कुल 170 स्थानों पर पार्किंग निर्माण किये जाने के लिये स्थान चिन्हित किये गये हैं। 170 में से 108 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी हैं। 14 पार्किंग परियोजनाओं में कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 14 अन्य परियोजनायें मार्च, 2024 के अन्त तक पूर्ण करना लक्षित है। राज्य में प्रथम बार टनल/केविटी पार्किंग परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है।
76. हमारी सरकार पर्यावरण मित्रों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में हम इस बजट में शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में उनके लिए बीमा योजना हेतु रू0 अठ्ठासी लाख (रू0 88.00 लाख) धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं।
77. हमारी सरकार निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने निराश्रित पशुओं के भरण पोषण हेतु 30 रूपया प्रतिदिन प्रति गौवंश की राशि को बढ़ाकर 80 रूपया प्रतिदिन प्रति गोवंश निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शहरी विकास के अन्तर्गत रू0 बीस करोड़ (रू0 20.00 करोड़) के प्रावधान के अतिरिक्त पशुपालन विभाग के अन्तर्गत गौ संरक्षण को बढ़ावा देने तथा गौ

सदनों के संचालन के लिए कुल मिलाकर लगभग ₹0 सैंतीस करोड़ सत्तावन लाख (₹0 37.57 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

78. इसी क्रम में शहरी जीवन को और सुगम बनाने के लिए किये जा रहे अन्य प्रमुख बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:—

- ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत ₹0 सत्ताइस करोड़ (₹0 27.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0बी0) हेतु ₹0 एक सौ पचास करोड़ (₹0 150.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ₹0 एक सौ तीस करोड़ (₹0 130.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) हेतु ₹0 एक सौ नौ करोड़ (₹0 109.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण हेतु ₹0 एक सौ करोड़ (₹0 100.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- पेयजल विभाग में के0एफ0डब्ल्यू0 परियोजना हेतु ₹0 एक सौ करोड़ (₹0 100.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 हेतु ₹0 एक सौ करोड़ (₹0 100.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) हेतु ₹0 साठ करोड़ (₹0 60.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रू0 पचास करोड़ (रू0 50.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- स्मार्ट सिटी योजना (50% राज्यांश) हेतु रू0 छियालिस करोड़ पाँच लाख (रू0 46.05 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास के लिए केएफडब्ल्यू परियोजना हेतु रू0 सत्ताइस करोड़ (रू0 27.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- गैरसैण में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 बीस करोड़ (रू0 20.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण हेतु रू0 बीस करोड़ (रू0 20.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- नगर पालिकाओं में पार्क/ओपन जिम की स्थापना हेतु रू0 पाँच करोड़ (रू0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

79. अध्यक्ष जी, प्रदेश की आत्मा गाँव में बसती है। ग्राम्य विकास के लिए हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराये हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन की जमीनी स्तर पर समीक्षा की जा रही है तथा सम्पर्क मार्ग, ऊर्जा व इंटरनेट की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। गाँवों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जा रहा है। न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं अपितु स्वावलम्बन से भी ग्रामीण जनता को जोड़ा जा रहा है।

हमारी लखपति दीदियां प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुछ प्रमुख योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ:—

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु रू० एक सौ चौवालिस करोड़ (रू० 144.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- पंचायत भवनों के निर्माण हेतु रू० पचीस करोड़ (रू० 25.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना हेतु रू० बीस करोड़ (रू० 20.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- “मेरा गांव मेरी सड़क योजना” हेतु रू० आठ करोड़ (रू० 08.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

80. अध्यक्ष जी, अब मैं सुरक्षित उत्तराखण्ड की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सुरक्षा एक वृहद अवधारणा है। हमारी सरकार का प्रयास है कि सामाजिक—आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझा जाए। हमने दृष्टि पत्र 2022 में सुरक्षित देवभूमि का वादा जनता से किया था। अवैध कब्जा से देवभूमि को मुक्त करने का अभियान सफलतापूर्वक जारी है। वाईब्रेन्ट विलेज योजना सीमावर्ती गाँवों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉलिसी इन्टरवेंशन है।

81. उत्तराखण्ड प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। आपदा के प्रभावों के न्यूनीकरण के साथ-साथ हमारी सरकार मानव जनित दुर्घटनाओं से सुरक्षा के गम्भीर प्रयत्न कर रही है। बजट भाषण के प्रारम्भिक भाग में मैंने असुरक्षित पुल, ट्राली आदि से मुक्ति तथा समस्त चिन्हित स्थानों पर क्रैश बैरियर का निर्माण का उल्लेख किया था।
82. हमारी सरकार ने और भी अनेक महत्वपूर्ण प्रयास सुरक्षित उत्तराखण्ड की दिशा में किये हैं। दृष्टांत स्वरूप मैं कुछ बिन्दुओं का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ:-
- प्रदेश में आई-रैड (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेन्ट डेटाबेस) परियोजना को लागू कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं अंकित की जा रही है। राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होने से दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी।
 - लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं आम जन मानस के फीडबैक हेतु "पैच रिपोर्टिंग ऐप" को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18.05.2023 को लांच किया गया है।
 - वर्तमान में मोटराईज्ड 28 ट्रॉलियों को वैकल्पिक आवागमन हेतु प्रयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त असुरक्षित ट्रॉलियों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में 4 ट्रॉलियों के स्थान पर सेतु निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 24 ट्रॉलियों के स्थान पर सेतु निर्माण हेतु प्रक्रिया गतिमान है।
83. अध्यक्ष जी, अब मैं अग्रणी उत्तराखण्ड के अन्य महत्वपूर्ण मुख्य बिन्दु सुशासन की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। सुशासन की अवधारणा भागीदारी,

जवाबदेही, पारदर्शिता, कुशलता, न्यायसंगतता के साथ-साथ 'कानून के शासन' के अनुसरण की अपेक्षा रखती है। हमारी सरकार की कार्यप्रणाली और ई-गवर्नेंस ने सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन किया है।

84. समान नागरिक संहिता और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड की हमारी पहल से सुशासन की अवधारणा सशक्त होती है। 1905, सेवा के अधिकार के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं की संख्या में निरंतर विस्तार, समीक्षा और निरीक्षण की हमारी कार्यशैली और सशक्त सतर्कता तंत्र सहित अनेक महत्वपूर्ण संस्थागत विकास और पहल हमारी सरकार द्वारा की गई है। दृष्टांत स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इंगित कर रहा हूँ:-

- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम (संशोधन), 2023, दिनांक 25.04.2023 को लागू कर दिया गया है।
- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति, मार्ग का अधिकार नीति 2023, उत्तराखण्ड ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति, साइबर संकट प्रबन्धन योजना आदि जारी की गई है।
- स्टेट डाटा सेन्टर में 99 विभागों के लगभग 167 एप्लीकेशन होस्ट कर लाइव की जा चुकी है। स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) की कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से 139 "पॉइंट ऑफ प्रजेस" की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से जिला, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों तक कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

- 'ओपन इण्टरनेट' पर ई-ऑफिस का सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें कुल 418 विभाग / संस्थायें ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। ई-ऑफिस के माध्यम से दक्षता, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं पेपर लेस गवर्नेन्स का क्रियान्वयन हो पा रहा है।
- सी.एम. हैल्पलाईन '1905' को नये रूप में विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण नई सुविधायें विकसित की गई हैं जैसे समीक्षा डैशबोर्ड, 'क्लिक टू कॉल' की सुविधा, तहसील दिवस / जनता दरबार का डिजिटलीकरण।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेटा लेक परियोजना के अन्तर्गत ई-गवर्नेंस कार्यक्रम यथा सी0एम0हेल्प लाईन, ई-आफिस, अपुणि सरकार, पीएम गति शक्ति (उन्नति) आदि पोर्टलों के माध्यम से सृजित हो रहे डेटा का केन्द्रीय संग्रहण किया जा रहा है। साथ ही, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ स्केलेबल एवं सुरक्षित प्लेटफार्म प्रदान किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

85. जीरो टोलरेन्स अब एक यथार्थ के रूप में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। भ्रष्ट आचरण करने वाले कार्मिक की सामाजिक और शासकीय हैसियत की परवाह किये बिना कार्यवाही की जा रही है।

86. जमीन के दस्तावेजों में भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसकी कारगर व्यवस्था बनाई जा रही है। भूमि सम्बन्धी फर्जीवाड़े को रोके जाने के लिए लेखपत्रों में पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु "आधार के.वाई.सी." की व्यवस्था लागू की जा रही है। जमीनों के फर्जीवाड़े की गहनता से जाँच की जा रही है और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। हमने अटल

आयुष्मान योजना के अन्तर्गत इलाज के बिलों में फर्जीवाड़ा करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की है।

87. राज्य सरकार की भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर कड़ी कार्यवाही की गई है। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। यह कानून अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है।
88. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक ओर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि हुई है वहीं सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन भी स्थापित हुआ है। पूंजीगत परिव्यय के सापेक्ष हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों से कम ऋण लिया है। हमारी योजना है कि हम निरंतर राजकोषीय समेकन के पथ पर गतिमान रहेंगे और राजस्व सरप्लस के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को बनाए रखेंगे। हम राजकोषीय घाटा स्तर को भी FRBM एक्ट की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
89. बजट भाषण में प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लेख कर हम अपनी जबाबदेहिता के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी सरकार रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारा विश्वास है कि उत्तराखण्ड की संचित निधि से व्यय की गयी धनराशि का समुचित प्रतिफल प्रदेश को मिलना चाहिए। इसीलिए हम आउटकम पर फोकस कर रहे हैं।
90. अध्यक्ष जी, इस गौरवशाली सदन ने समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून सहित अनेक महत्वपूर्ण विधायी कार्य कर दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा दी है। मैं इस सम्मानित सदन में इस बजट के माध्यम से अपनी सरकार का संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह एक संकल्प है जो युगपुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सशक्त प्रेरणा से एवं हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ-साथ इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए अग्रसर है।

यह एक संकल्प है जो हमारी मातृ शक्ति, छात्र शक्ति, अन्न दाता और अपवंचित वर्गों को सशक्त करते हुए प्रगति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। एक राज्य के रूप में हमारी प्रगति इनकी सामूहिक प्रगति पर ही निर्भर करती है।

यह बजट एक संकल्प है जो प्रदेश में समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा। यह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बजट है। यह प्रदेश की आर्थिक तरक्की का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का यंत्र है। यह प्रगतिशील सामाजिक अवसंरचना का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह बजट मार्टिन लूथर किंग के प्रेरक विचारों के अनुरूप सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है:—

“अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें,

दौड़ नहीं सकते तो चलें,

अगर चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगते हुए चलें,

लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें”

यह बजट जय उत्तराखण्ड का उद्घोष है। यह विकास के साथ-साथ विरासत को समर्पित बजट है। यह बजट विरासत पर गर्व का अहसास कराता है और सांस्कृतिक स्थलों के समुचित विकास का सूत्रधार है।

यह बजट अग्रणी उत्तराखण्ड की अवधारणा पर आधारित है। 'अग्रणी उत्तराखण्ड' की हमारी अवधारणा परंपरा व प्रौद्योगिकी के तथा आधुनिक अवसंरचना व प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्रों का विकास करना है। हमारा प्रयास गाँव और शहर, पहाड और मैदान, स्त्री व पुरुष, युवा व बुजुर्ग, किसान और उद्यमी सबको बेहतरी के अवसर प्रदान करने का है। विकास का यह मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एवं एकाउंटिबिलिटी पर आधारित है। यह पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता को समर्पित बजट है।

यह बजट एक ऐसी अवसंरचना का निर्माता है जो वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर निर्मित होगा। सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में सहायक होगा तथा सतत विकास के लक्ष्यों को तीव्रगति से प्राप्त किया जा सकेगा।

हमारी मंजिल सशक्त उत्तराखण्ड है। "अग्रणी उत्तराखण्ड" हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मैं देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियाँ ₹0 अठ्ठासी हजार पांच सौ सत्तानवे करोड़ ग्यारह लाख (₹0 88597.11 करोड़) अनुमानित हैं जिसमें ₹0 साठ हजार पांच सौ बावन करोड़ नब्बे लाख (₹0 60552.90 करोड़) राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹0 अठ्ठाइस हजार चौवालिस करोड़ एककीस लाख (₹0 28044.21 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू0 छत्तीस हजार एक सौ छियालिस करोड़ सैंतालिस लाख (रू0 36146.47 करोड़) है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रू0 तेरह हजार छः सौ सैंतीस करोड़ पन्द्रह लाख (रू0 13637.15 करोड़) सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों के कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू0 सत्ताईस हजार तीन सौ बयासी करोड़ सत्तर लाख (रू0 27382.70 करोड़) में कर राजस्व रू0 बाइस हजार पाँच सौ नौ करोड़ बत्तीस लाख (रू0 22509.32 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व रू0 चार हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख (रू0 4873.38 करोड़) अनुमानित है।

व्यय:

वर्ष 2024–25 में ऋणों के प्रतिदान (अर्थोपाय अग्रिम सहित) पर रू0 उन्नीस हजार एक सौ छत्तीस करोड़ तिरपन लाख (रू0 19136.53 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रू0 छः हजार छः सौ छत्तीस करोड़ चौवालिस लाख (रू0 6636.44 करोड़), राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रू0 सत्रह हजार एक सौ चौरासी करोड़ नवासी लाख (रू0 17184.89 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू0 एक हजार तीन सौ पाँच करोड़ एकहत्तर लाख (रू0 1305.71 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू0 आठ हजार एक सौ पैतालिस करोड़ पचास लाख (रू0 8145.50 करोड़), व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय रू0 नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (रू0 89230.07 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू0 पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 55815.77 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू0 तैंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (रू0 33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा/सरप्लस:

वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू0 चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (रू0 4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रू0 नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (रू0 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है। यह एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।

वर्ष 2024-25 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू0 छः करोड़ सोलह लाख (रू0 6.16 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू0 तिहत्तर करोड़ बीस लाख (रू0 73.20 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं, मंत्रीमण्डल में अपने सहयोगियों के सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट

तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं, महालेखाकार, उत्तराखण्ड का भी आभारी हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय रूड़की तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी,

अन्त में मैं प्रदेश की सम्मानित जनता की आशा व आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए इन पंक्तियों को समर्पित करता हूँ:-

मंजिल है अग्रणी उत्तराखण्ड,
अभिलेख ये उस संकल्प का है,
ये बचन तो था, नियति भी है अब,
“ये दशक उत्तराखण्ड का है।”

इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूँ:-

फाल्गुन 08, शक सम्वत् 1945

तदनुसार

27 फरवरी, 2024